न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,डीग

मि0न0 13/2025(जी.सी.एम.एस. 2023/69)

पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

साहब सिंह पुत्र भूप सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला खूंटैला तहसील व जिला डीग(राज0)

-सायल

बनाम

1. बलवीर सिंह
2. सुरेशचन्द

पुत्रगण भूप सिंह जातियान जाट नि0 ग्राम नगला खूंटैला तहसील व जिला डीग(राज0)

-गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 06.06.2025

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 6882/0.09, 7081/0.11, 7084/0.20, 7658/0.19, 7661/0.32, 7676/0.08, 7677/0.04, 7678/0.34, 7718/0.11, 7757/0.22, 7758/0.22, 7764/0.19, 7765/0.09, 7766/0.31, 7771/0.09, 7772/0.11, कुल किता-16 कुल रकबा 2.71 हैक्टे0 खाता संख्या नया 99, तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 7660/0.43, नवीन खाता संख्या 100 तथा हाल आराजी खसरा नम्बरान 6883/0.20, 6888/0.17, 7079/0.18, 7083/0.24, 7085/0.22 कुल किता-5 कुल रकबा 1.01 हैक्टे0 नवीन खाता संख्या 121 वाके ग्राम **नगला खूँटैला** तहसील डीग तथा हाल आराजी खसरा नम्बरान 1073/0.11, 1088/0.29, 1090/0.26, 1092/0.26, 1095/0.26, 947/0.22, 948/0.14, 951/0.31, 952/0.22, 956/0.19, 970/0.19, 971/0.06, 972/0.16, 973/0.05, 975/0.16, 990/0.13, 994/0.12, 995/0.09, 996/0.19, कुल किता-19 कुल रकबा 3.41 हैक्टे0 नवीन खाता संख्या 200 वाके **ग्राम नगला चाहर** तहसील डीग में स्थित है। आराजी मुत0 वर्णित मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र से ग्राम नगला खूँटैला में स्थित आराजीयात पर आज सायल एवं गैर सायलान की मॉ श्रीमति भी विरासतन अपने पति से प्राप्त हिस्सा पर सहखातेदार दर्ज है जबकि उक्त श्रीमति की मृत्यु हो चुकी है और उसकी हिस्सा आराजी पर आज उसके वारिसान सायल एवं गैर सायलान तथा वादपत्र में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4(सायल व गैर सायलान के भाई अमर सिंह व बहिन मुन्नी)विरासतन वाहिस्सा बराबर काबिज काश्त है। इस प्रकार आराजी मुत0 स्थित ग्राम नगला खूँटैला एवं नगला चाहर तहसील डीग एवं गैर सायलान एवं वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 13 की मुताविक वर्णित हिस्सा जमाबन्दी व विरासतन संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और अपने अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजी मुत0 पर सालय एवं गैर सायलान एवं वादपत्र में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 13 का मौके पर कब्जा काश्त है व उपयोग व उपभोग मे आ रही है। अब सायल एवं गैर सायलान एवं वादपत्र में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 13 के मध्य आपस में संयुक्त काश्त में नहीं बन पा रही है और चाहे जब झगडा फिसाद हो जाता है। अतः निवेदन है कि गैर सायलान को

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बरान 6882/0.09, 7081/0.11, 7084/0.20, 7658/0.19, 7661/0.32, 7676/0.08, 7677/0.04, 7678/0.34, 7718/0.11, 7757/0.22, 7758/0.22, 7764/0.19, 7765/0.09, 7766/0.31, 7771/0.09, 7772/0.11, कुल किता-16 कुल रकबा 2.71 हैक्टे0 खाता संख्या नया 99, तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 7660/0.43, नवीन खाता संख्या 100 तथा हाल आराजी खसरा नम्बरान 6883/0.20, 6888/0.17, 7079/0.18, 7083/0.24, 7085/0.22 कुल किता-5 कुल रकबा 1.01 हैक्टे0 नवीन खाता संख्या 121 **वाके ग्राम नगला खूँटैला** तहसील डीग तथा हाल आराजी खसरा नम्बरान 1073/0.11, 1088/0.29, 1090/0.26, 1092/0.26, 1095/0.26, 947/0.22, 948/0.14, 951/0.31, 952/0.22, 956/0.19, 970/0.19, 971/0.06, 972/0.16, 973/0.05, 975/0.16, 990/0.13, 994/0.12, 995/0.09, 996/0.19, कुल किता-19 कुल रकबा 3.41 हैक्टे0 नवीन खाता संख्या 200 वाके **ग्राम नगला चाहर** तहसील डीग में स्थित आराजीयात में मजाहमत मदाखलत नहीं करें तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनायें रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.04.2025 को वकील गैर सायलान संख्या 01 व 02 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव में वर्णित है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात ग्राम नगला खूँटैला व ग्राम नगला चाहर में स्थित में ही स्थित है। सायल एवं गैर सायलान संख्या 1 लगायत 4 की मॉ श्रीमति के नाम राजस्व रिकार्ड में अपने पति से प्राप्त हिस्सा पर सहखातेदार दर्ज है,उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके हिस्सा की आराजी पर सायल एवं गैर सायलान संख्या 01 लगायत 03 वाहिस्सा बराबर काबिज होना स्वीकार है। सायल और गैर सायलान संख्या 01 लगायत 3 के मध्य करीव 35 साल पूर्व पिता भूप सिंह के मरने के वाद आपसी सहमति से अपनी शामिल हिस्सेदारी की समस्त आराजी का मौखिक विभाजन कर लिया जिसके अनुसार सायल एवं गैर सायलान संख्या 01 लगायत 03 अपने अपने हिस्सा में आई आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सायल एवं गैर सायलान के मध्य मौके पर काश्त को लेकर कोई झगडा व विवाद आज दिनांक तक नहीं हुआ है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल विरूद्व गैर सायलान खारिज फरमाई जावे।

दिनांक 02.06.2025 को बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

हालांकि पक्षकारों के अधिकार मूल वाद में साक्ष्य द्वारा तय किये जायेंगे। वर्तमान मामले में न्यायालय को **प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति** का बिन्दु मुख्य रूप से देखना है।

<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण :-</u> वकील सायल का कथन रहा कि आराजी खसरा नम्बरान 6882/0.09, 7081/0.11, 7084/0.20, 7658/0.19, 7661/0.32, 7676/0.08, 7677/0.04, 7678/0.34, 7718/0.11, 7757/0.22, 7758/0.22, 7764/0.19, 7765/0.09, 7766/0.31, 7771/0.09, 7772/0.11, कुल किता-16 कुल रकबा 2.71 हैक्टे0 खाता संख्या नया 99, तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 7660/0.43, नवीन खाता संख्या 100 तथा हाल आराजी खसरा नम्बरान 6883/0.20, 6888/0.17, 7079/0.18, 7083/0.24, 7085/0.22 कुल किता-5 कुल रकबा 1.01 हैक्टे0 नवीन खाता संख्या 121 **वाके ग्राम नगला खूँटैला** तहसील डीग तथा हाल आराजी खसरा नम्बरान 1073/0.11, 1088/0.29, 1090/0.26, 1092/0.26, 1095/0.26, 947/0.22, 948/0.14, 951/0.31, 952/0.22, 956/0.19, 970/0.19, 971/0.06, 972/0.16, 973/0.05, 975/0.16, 990/0.13, 994/0.12, 995/0.09, 996/0.19, कुल किता-19 कुल रकबा 3.41 हैक्टे0 नवीन खाता संख्या 200 वाके **ग्राम नगला चाहर** तहसील डीग में स्थित है जोकि उभय पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। गैर सायलान के जबाव में वर्णित है कि उक्त आराजीयात के आराजी खसरा नम्बर 7718/0.11 के हिस्सा 50x50 फुट जगह में अपनी रिहायश हेतु मकान निर्माण करना शुरू किया गया। चूँकि विना विभाजन/बंटवारे किये बिना कृषि

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

भूमि पर गैर सायलान द्वारा मकान निर्माण किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायल के पक्ष में प्रमाणित है।

<u>सुविधा का संतुलन :-</u> उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में प्रमाणित हुआ है। न्यायालय के स्थगन आदेश जारी न होने से उभय पक्ष के मध्य झगडा फिसाद होने का पूर्ण अंदेशा है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन का बिन्दु सायल के पक्ष में बखूवी प्रमाणित है।

<u>अपूर्णीय क्षति :-</u> संयुक्त खातेदारी की आराजी होने से सायल के हक प्रभावित होना स्वभाविक है। गैर सायलान के द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर निर्माण कार्य किये जाने की बात कही गई है। कृषि भूमि पर विना विभाजन कराये व विना अनुमति प्राप्त किये ही निर्माण कार्य किया जाना उचित नहीं है तथा अन्य आराजीयात पर भी निर्माण कार्य किये जाने व आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीनीय क्षति गैर सायलान के पक्ष में ना होकर सायल के पक्ष में बखूवी प्रमाणित है।

प्रथम द्रष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति सिद्व करने में गैर सायलान असफल रहे है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अन्तिम निस्तारण करते हुए दावे के अन्तिम निस्तारण होने तक गैर सायलान के विरूद्व स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तर्गत धारा **53** व **188** आर.टी.एक्ट के निर्णय/अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बरान 6882/0.09, 7081/0.11, 7084/0.20, 7658/0.19, 7661/0.32, 7676/0.08, 7677/0.04, 7678/0.34, 7718/0.11, 7757/0.22, 7758/0.22, 7764/0.19, 7765/0.09, 7766/0.31, 7771/0.09, 7772/0.11, कुल किता-16 कुल रकबा 2.71 हैक्टे0 खाता संख्या नया 99, तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 7660/0.43, नवीन खाता संख्या 100 तथा हाल आराजी खसरा नम्बरान 6883/0.20, 6888/0.17, 7079/0.18, 7083/0.24, 7085/0.22 कुल किता-5 कुल रकबा 1.01 हैक्टे0 नवीन खाता संख्या 121 **वाके ग्राम नगला खूँटैला** तहसील डीग तथा हाल आराजी खसरा नम्बरान 1073/0.11, 1088/0.29, 1090/0.26, 1092/0.26, 1095/0.26, 947/0.22, 948/0.14, 951/0.31, 952/0.22, 956/0.19, 970/0.19, 971/0.06, 972/0.16, 973/0.05, 975/0.16, 990/0.13, 994/0.12, 995/0.09, 996/0.19, कुल किता-19 कुल रकबा 3.41 हैक्टे0 नवीन खाता संख्या 200 वाके **ग्राम नगला चाहर** तहसील डीग में स्थित आराजीयात पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति वनाये रखने, रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने तथा निर्माण कार्य नहीं किये जाने हेतु गैर सायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner